

गोपनीय

विधान मण्डल में प्रस्तुत होने
के पश्चात निर्गत हेतु



प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा – I

31 मार्च 2021 को समाप्त हुये वर्ष के लिये



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2023

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में अनुपालन लेखापरीक्षा-I पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2023

उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा-I प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2023) दिनांकको राज्य विद्यानमण्डल के समक्ष रखा गया। प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत हैं:

I. लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली

लेखापरीक्षा में विदित हुआ (अप्रैल 2021) कि राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर ने एक ठेकेदार के बिलों से वसूल करने के बजाय सरकारी धन से लेबर सेस के रूप में ₹ 4.86 करोड़ का भुगतान किया। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर ठेकेदार से लेबर सेस की संपूर्ण राशि ₹ 4.86 करोड़ की वसूली (मार्च 2022) की गयी थी।

(प्रस्तर 1.5)

II. प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आवासीय एवं निर्माण गतिविधियों की लेखापरीक्षा

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के आवासीय और निर्माण गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए की गयी है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- पीडीए उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत आवश्यक प्रयागराज के 12 में से 11 क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करने में विफल रहा। इस प्रकार, प्रयागराज के 11 क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को अपेक्षित क्षेत्रीय योजना की उपलब्धता के बिना किया जा रहा था।

(प्रस्तर 2.1.2)

- 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, आवास योजनाओं पर पीडीए का व्यय ₹104.73 करोड़ से घटकर ₹ 17.56 करोड़ (83 प्रतिशत) हो गया, जबकि अन्य विकास कार्यों पर व्यय ₹ 63.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 70.23 करोड़ (11 प्रतिशत) हो गया, जो आवास कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों, जैसे सड़क कार्य, कुंभ मेला कार्य, स्मार्ट सिटी कार्य आदि, के निष्पादन को पीडीए द्वारा वरीयता दिये जाने को दर्शाता है।

(प्रस्तर 2.1.3)

- पीडीए ने बिना किसी मांग का सर्वेक्षण किए 1,200 बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए यमुना विहार आवास योजना शुरू की। तदुपरान्त, मांग के अभाव में दो टावरों (192 फ्लैट) के निर्माण के बाद परियोजना का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप, अधूरे टावरों के बेसमेंट, स्टिल्ट, फर्श, चाहरदीवारी आदि के निर्माण पर ₹ 38.85 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। अग्रेतर, 192 में से 160 फ्लैट अविक्रीत रह गए। इसी प्रकार, ₹152.92 करोड़ की लागत वाले 357 फ्लैट अविक्रीत थे जिनका निर्माण अप्रैल 2018 (मौसम विहार) और नवंबर 2019 (जागृति विहार) में किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.5.1 और 2.1.5.4)

- कार्य में धीमी प्रगति के कारण, पीडीए ने गोविंदपुर आवास योजना के अन्तर्गत अलकनंदा अपार्टमेंट के आवंटियों को कब्जा देने की नियत तिथि से पांच वर्ष से अधिक समय व्यतीत जाने के बाद भी कब्जा प्रदान नहीं किया।

(प्रस्तर 2.1.5.2)

उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
संख्या 1 वर्ष 2023 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-I

- पीडीए ने समाज के कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग के लोगों और शहरी गरीबों को किफायती मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 32,500 आवास इकाइयों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 312 आवास इकाइयों का निर्माण किया।

(प्रस्तर 2.1.5.3)

- पीडीए ने टाउनशिप के लिए अपेक्षित अनुमोदन के बिना और तत्काल आवश्यकता के बिना प्रस्तावित टाउनशिप की परिधीय सड़कों के निर्माण पर ₹ 4.38 करोड़ का अनियमित व्यय किया। एक अन्य सड़क कार्य में बिटुमिनस कार्य के लिए तेल कम्पनियों द्वारा जारी अपेक्षित प्रेषण रसीद प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना एक ठेकेदार को ₹1.87 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.1.6.1 और 2.1.6.4)

III. लेखापरीक्षा प्रस्तर

बेसिक शिक्षा विभाग

- बेसिक शिक्षा विभाग एवं कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम) के उदासीन प्रवृत्ति के कारण 10 वर्षों की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी आजमगढ़ जनपद में दो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के भवनों का निर्माण अपूर्ण रहा जिससे ₹ 1.17 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, इस विलम्ब के कारण आवासीय विद्यालय ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भवन आजमगढ़ के ट्रांजिट परिसर से संचालन किये जाने हेतु बाध्य थे जिससे बालिकाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।

(प्रस्तर 2.2)

उच्च शिक्षा विभाग

- निर्माण कार्य के निष्पादन में शिथिलता एवं निधियों को अवमुक्त किये जाने में विलम्ब के कारण दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण सात वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अपूर्ण रहा। परिणामस्वरूप, इसके निर्माण पर ₹ 4.61 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा, इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के छात्रों को खेल का बुनियादी ढाँचा प्रदान किये जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.3)

गृह विभाग

- कार्य के आरम्भ होने में विलम्ब, अप्रभावी अनुश्रवण एवं पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप बैफल फायरिंग रेंज का कार्य अपूर्ण रहा। इसके अतिरिक्त, निर्माण पर हुए ₹5.81 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा तथा कार्य की लागत भी ₹ 2.41 करोड़ से बढ़कर ₹ 6.39 करोड़ हो गयी।

(प्रस्तर 2.4)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, शारदा नहर खण्ड, लखनऊ द्वारा पांच एम्फीबियस हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर्स की आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को ₹91.09 लाख सेन्टेज की धनराशि का अनियमित भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.5)

उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
संख्या 1 वर्ष 2023 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-I

- अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, बाढ़ खण्ड, बरेली द्वारा ठेकेदार को रामगंगा बैराज के कार्यों में डिवाटरिंग शुल्क हेतु ₹33.66 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.6)

- राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2 द्वारा अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को ₹20 करोड़ का ब्याज मुक्त मशीनरी अग्रिम भुगतान किया गया, जिससे राज्य सरकार को ₹5.14 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.7)

- गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना के लिए अपूर्ण प्राक्कलन के आधार पर आयातित म्यूजिकल फाउंटन को स्थापित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹49.59 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.8)

- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बिना सर्वेक्षण के परियोजना के निर्माण के कारण किच्छा-पहा फीडर नहर में साइफन की पुर्नस्थापना पर ₹2.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.9)

चिकित्सा शिक्षा विभाग

- शासकीय आदेश के विरुद्ध बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर द्वारा बचत बैंक खातों के स्थान पर चालू खातों के संचालन के परिणामस्वरूप ₹1.62 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.10)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के विलम्ब से प्रेषण के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लगाए गए ब्याज, क्षति एवं कर्मचारी अंशदान की वसूली के कारण ₹3.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 2.11)

- 21 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों ने सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 175 चिकित्सा अधिकारियों का गलत तरीके से उच्च वेतन निर्धारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.59 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, चार मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने 12 चिकित्सा अधिकारियों से ₹ 20.64 लाख की वसूली की।

(प्रस्तर 2.12)

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ विभाग

- परियोजना निरूपण/गठन एवं मूल्यांकन स्तर पर उदासीन दृष्टिकोण अपनाये जाने और समय पर कार्य पूर्ण करने में विभाग की विफलता के कारण, जिला कारागार मीरजापुर की चहारदीवारी का निर्माण कार्य इसकी स्वीकृति के 11 वर्ष बाद भी अपूर्ण रहा एवं उसके निर्माण पर किया गया ₹1.42 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 2.13)

उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
संख्या 1 वर्ष 2023 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-I

समाज कल्याण विभाग

- प्रतिशत प्रभार की अनुमन्यता के शासकीय आदेशों का उल्लंघन कर समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को ₹ दो करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.14)

प्राविधिक शिक्षा विभाग

- मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा नगर निगम, गोरखपुर को गृह कर के भुगतान में शिथिलता के परिणामस्वरूप गृह कर के बकाए पर ₹ 3.08 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 2.15)

शहरी विकास विभाग


- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कटौती एवं समय पर निधि में भुगतान के संबंध में वैधानिक उत्तरदायित्व का पालन करने में नगर पालिका परिषद की विफलता के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के अंशदान, ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 1.49 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 2.16)

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग

- विस्तृत प्राक्कलन बनाये जाने में लापरवाही पूर्ण अभिवृत्ति एवं राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति में सात वर्षों से अधिक का विलम्ब किये जाने के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किठौर, मेरठ के निर्माण पर ₹ पांच करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 2.17)


(बी के मोहन्ती)
प्रधान महालेखाकार

उपरोक्त के सम्बन्ध में अन्य किसी सूचना हेतु कृपया निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें:

व0 उप महालेखाकार,
का0 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज-211001

इमेल : dagadmn.up2.au@cag.gov.in,

दूरभाष : 0532-2624757

वेबसाइट : <https://cag.gov.in/ag1/uttar-pradesh/en>

फैक्स : 05322424102